94

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0 क्र0 .... निग / भू–राजस्व / अशोकनगर / 2018 / ....

निगरानी–2993/2018/अशोकनगर/भू.रा

श्री प्रमोद सिंह भदौरिया
द्वारा आज दि. 15-5-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 8-6-18 नियत।
15-5-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

(1) श्रीबाई पत्नि राधेलाल जाति– अहिरवार, निवासी– ग्राम चक बड़ैरा, परगना चंदेरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(2) वीरवती बाई पत्नि तारचंद जाति– अहिरवार, निवासी– ग्राम चक बड़ैरा, परगना चंदेरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(3) सेवकुंवर बाई पत्नि खेमचन्द्र जाति– अहिरवार, निवासी– ग्राम चक बड़ैरा, तह. चंदेरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(4) मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पटवारी ग्राम दिनौला, परगना चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

—— **प्रार्थीगण**

बनाम

रमकोबाई वेवा नत्थू सिंह जाति– अहिरवार, उम्र– 50 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी– ग्राम बड़ैरा, परगना चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

—— **प्रतिप्रार्थी**

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता विरूद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्र.733 / 2015–16 अपील में आदेश दि. 16.10.2017

श्रीमान् जी

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :–

(1) यह कि, अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय का आदेश न्याय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी– 2993/2018 अशोकनगर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषव आदि के हस्ताक्षर
17/7/18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 733/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–10–2017 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत दिनांक 8–6–18 को प्रस्तुत की गई है। 2/ अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन के तथ्यों पर आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 16–10–2017 की जानकारी अभिभाषक ने समय पर नहीं दी जिसके कारण निगरानी प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 16–10–2017 के अवलोकन से परिलक्षित है कि उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी के प्रकरण कमांक 22/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 3–6–16 को निरस्त करते हुये अनुविभागीय अधिकारी व्दारा विलम्ब के आधार पर निरस्त की गई अपील में विलम्ब क्षमा करते हुये मामला गुणदोष पर सुनवाई हेतु वापिस किया है। अपर आयुक्त के आदेश से अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के समक्ष उभय पक्ष को अपनरन–अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 16–10–2017 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। 3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	